न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 39 / 2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
धूपदास पुत्र श्री पेलादास,जाति संत,निवासी भेटाला, तहसील व ज़िला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 23.10.217(प्रकरण सं. 782 / 2017)

उपस्थिति :–
1.श्री सिकन्दरअली,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20.3.2018

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अदालत मातहत ने मौजा भेटाला के वर्तमान खसरा नम्बर 712 व 713 रकबा 742 वर्गफीट पर अपीलांट का संवत् 2074 में कब्जा व निर्माण मानते हुए बेदखली व जुर्माना 50/–रूपये का आदेश गलत रूप से दिया है। अदालत मातहत् का नोटिस मिलने पर अपीलांट ने जवाब व ग्राम पंचायत मेडाउपरला द्वारा जारी पट्टा सं.4 / 7.6.1999 पेश किया गया था फिर भी अदालत मातहत् ने बिना गौर किये अपने निर्णय में कोई साक्ष्य,सबूत पेश नही करना बताते हुए निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। रास्ते की भूमि नही है तथा अपीलांट को गवाही पेश करने का अवसर नही दिया है। अतः अपीलांट की अपील मूंजूर कर अदालत मातहत् का आदेश निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील में फहरिस्त के साथ निर्णय आदि की प्रमाणित प्रति पेश की है। इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया ।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अदालत मातहत् ने अपीलांट द्वारा पट्टे को पेश करने के उपरान्त भी अपने निर्णय में कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करना बताते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, गवाही पेश करने का अवसर नही दिया है। अतः अपीलांट

की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर को आदेश दिनांक 23.10.2017 निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता की भूमि यानि सरकारी भूमि होने से तहसीलदार जालोर द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मौजा संवत् 2074 में मौजा भेटाला के खसरा नम्बर 712,713 कुल रकबा 0.35 हेक्टर में से 742 वर्गफुट पर अतिक्रमण कर कुर्सी तक निर्माण करने से पटवारी हल्का भेटाला की रिपोर्ट जिसको भू अभिलेख निरीक्षक सियाणा द्वारा जांच की गई है, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर को पेश करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर, अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 23.10.17 को निर्णय पारित किया गया हैं जिसमें अपीलांट को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि जो सरकारी भूमि है,पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 682/2017 के अवलोकन से गैरसायल अदालत मातहत में दिनांक 15.9.17 को उपस्थित हुआ है,उसी दिन गैरसायल को सबूत पेश करने का अवसर दिया गया है तथा दिनांक तारीख 23.10.17 को अपने कब्जे की वैधता के सबंध में कोई साक्ष्य,सबूत पेश नही करने पर निर्णय पारित किया गया है। गैरसायल द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.9.17 को जवाब ,फहरिस्त मय पट्टे की फोटो प्रति पेश की गई है। पट्टे की फोटो प्रति से यह साबित नही होता हैं कि उक्त पट्टा खसरा नम्बर 712,713 में से ही जारी किया गया है। इसके अलावा,ग्राम पंचायत को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर पट्टा देने का अधिकार नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वार तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 23.10.2017 (प्रकरण सं. 782/2017) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

Sd.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 20.3.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर